अध्याय III : परमाणु ऊर्जा विभाग

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर

3.1 विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीनों की स्थापना न होना

प्लाजमा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर ने दो विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीनों की खरीद, उनकी स्थापना हेतु कार्य-स्थल की पहचान किए बिना की थी। सात वर्षों से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी मशीनों को स्थापित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.29 करोड़ का धन निष्क्रिय हो गया।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के खरीद नियमावली के पैरा 27.15 में निर्धारित किया गया है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा किए जाने वाले स्थापना एवं कमीशनिंग से संबंधित संविदा में, कार्य-स्थल की व्यवस्था करना, साथ ही स्थापना एवं कमीशनिंग से संबंधित अन्य उपयोगिताओं को सहमत समय-सीमा के अंदर आपूर्तिकर्ता को प्रदान करना उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। नियमावली का पैरा 15.14 यह भी निर्धारित करता है कि मांग-पत्र अधिकारी को संविदा के तकनीकी मूल्यांकन के समय कार्य-स्थल की तैयारियों की स्थिति अभिलिखित करनी चाहिए।

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर (आई.पी.आर.), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के तहत एक स्वायत्त निकाय, ने मैसर्स पटेल एनालॉग एंड डिजिटल मेजरमेंट क. (प्रा.) लिमिटेड (पी.ए.डी.एम.सी.ओ.), पुणे के साथ प्रोटोटाइप मैग्नेट के लिए विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीन (एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी.)[1] के डिजाईन, निर्माण, आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए ₹2.40 करोड़ के अलावा पैकिंग और अग्रेषण प्रभारों और करों (खरीद हेतु विभिन्न स्तरों पर देय[2]) की

---

[1] आई.पी.आर. के चुंबक विकास के लिए के XI योजना परियोजना में उपयोग हेतु उपकरण को परिकल्पित किया गया था। एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. का उपयोग अनियमित आकार के फ्यूजन ग्रेड चुंबकीय वाइंडिंग पैक बनाने के लिए एकल/दोहरे पैनकेक कॉइलो को चौड़ा करने हेतु किया जाना था।

[2] 10 प्रतिशत अग्रिम के रूप मे, डिजाइन और ड्राइंग के अनुमोदन के संबंध में 10 प्रतिशत, इंजीनियरिंग विवरण आदि प्रदान करने के लिए 35 प्रतिशत; सभी आवश्यक इकाइयों के एकीकरण के बाद 25 प्रतिशत; और स्थापना, चालू करने और 10 प्रतिशत संविदा मूल्य के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) जमा करने पर मशीन के अंतिम स्वीकार्यता के बाद 20 प्रतिशत।

लागत पर एक संविदा में प्रवेश किया (अक्टूबर 2009)। अभिव्यक्ति जारी किए जाने के बाद (अक्टूबर 2008), मैसर्स पी.ए.डी.एम.सी.ओ. से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था एवं मूल्यांकन किया गया था और इसके बाद ठेकेदार को चयनित किया गया था।

संविदा की शर्तों के संदर्भ में, एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. को पहले अग्रिम प्राप्त होने की तिथि से 18 महीनों के अदंर आई.पी.आर. पर सुपुर्द किया जाना था और इसके प्राप्त होने की तिथि से तीन महीनों के अंदर स्थापना एवं कमीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण करनी थी। मैसर्स पी.ए.डी.एम.सी.ओ. को पहला अग्रिम (नवंबर 2009) जारी किया गया था; इसके बाद मई 2011 तक एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. को सुपुर्द किया जाना था। आई.पी.आर. द्वारा सुझाए गए डिजाइन में बार-बार परिवर्तन करने के कारण कार्य में विलंब हुआ और अन्ततः दिसंबर 2012 में ही पूर्ण हुआ। यद्यपि एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. सुर्पुदगी हेतु तैयार था, आई.पी.आर. द्वारा प्रेषण मंजूरी नहीं दी गई थी क्योंकि मशीन की स्थापना हेतु कार्य-स्थल की पहचान नहीं की गई थी। चूंकि ठेकेदार द्वारा मामले का अनुसरण किया जा रहा था, आई.पी.आर. ने (मार्च 2013) प्रेषण मंजूरी दी और मार्च 2013 में आई.पी.आर. में एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. प्राप्त किया गया। तथापि, कार्य-स्थल की अनुपलब्धता के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका।

इसी प्रकार, आई.पी.आर. ने मैसर्स पी.ए.डी.एम.सी.ओ. के साथ ई.एल.एम. नियंत्रण कॉइल्स (एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम.) के लिए विशेष प्रयोजन वाइडिंग मशीन के डिजाइन, विनिर्माण, निरीक्षण, जांच, आपूर्ति और स्थापना हेतु विशिष्ट मील के पत्थरों[3] पर देय ₹1.45 करोड़ के अलावा करों के साथ एक अन्य संविदा में प्रवेश किया (अप्रैल 2013) । एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. का प्रयोग आई.पी.आर. संयुक्त यूरोपीय टोरस, यूनाइटेड किंगडम (जे.ई.टी.)[4] के

[3] 10 प्रतिशत अग्रिम के रूप में; डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुमोदन के संबंध में 10 प्रतिशत; सुपुर्दगी के संबंध में 60 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत संविदा मूल्य हेतु पी.बी.जी. को जमा करने पर अंतिम स्वीकार्यता के बाद 20 प्रतिशत।

[4] यूरोपीयन फ्यूजन प्रोग्राम की एक केंद्रीय अनुसंधान सुविधा, जिसका प्रयोग फ्यूजन प्रयोगों के लिए किया जाता है।

सहयोग के तहत प्रोटोटाईप जे.ई.टी.-ई.एल.एम. चुंबक को विकसित करने हेतु प्रयोग किया जाना था। ठेकेदार का चयन सार्वजनिक निविदा सूचना (दिसंबर 2012) के प्रत्युत्तर में प्राप्त बोली (मार्च 2013) के मूल्यांकन के बाद किया गया था। एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. को आशय पत्र (मार्च 2013) से छः महीनों के अंदर अर्थात, सितंबर 2013 तक आई.पी.आर. कार्य-स्थल पर सुपुर्द किया जाना था, और बाद में ठेकेदार द्वारा इसे स्थापित एवं कमीशन किया जाना था। नवंबर 2013 में मशीन को आई.पी.आर. को सुपुर्द किया गया था, परंतु कार्य-स्थल की अनुपलब्धता के कारण इसे भी स्थापित नहीं किया गया।

आई.पी.आर ने (नवंबर 2009 से सितंबर 2014) कुल ₹4.29 करोड़[5] का भुगतान किया, जिसमें एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. के लिए भुगतान का 95 प्रतिशत और एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. के भुगतान का 100 प्रतिशत शामिल था। हालांकि, दोनों मशीनें अक्टूबर 2020 तक स्थापना के बिना अप्रयुक्त रहीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.पी.आर. ने दोनों वाइडिंग मशीनों की खरीद, उनकी स्थापना हेतु कार्य-स्थलों की पहचान किए बिना की, जो डी.ए.ई. खरीद नियमावली के प्रावधानों के उल्लघंन में थी। संविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के समय कार्य-स्थल की तैयारियों का कोई उल्लेख नहीं था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आई.पी.आर. ने मशीनों को कभी स्थापित नहीं किया और वे खरीद के बाद सात वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रही। अपूर्ण स्थापना के अलावा, आई.पी.आर. ने मशीनों को ठीक से संग्रहीत भी नही किया, जोकि ठेकेदार द्वारा (अगस्त 2015) नोट किया गया था कि दोनों मशीने खुले में पड़ी सड़ रही थीं और खराब भंडारण के कारण बुरी तरह जंग खा रही थी।

आई.पी.आर. ने (अगस्त 2020) लेखापरीक्षा को पुष्टि की कि मशीनों के कल-पुर्जो के सुचारू परिचालन हेतु मरम्मत/रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है। मशीनों की परिचालन क्षमता भी संदेह के घेरे में बनी रही।

[5] एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. हेतु ₹2.66 करोड़ और एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. हेतु ₹1.63 करोड़।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आई.पी.आर. ने (अगस्त 2014) एस. पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. के लिए भुगतान की शर्तों को 20 प्रतिशत के अंतिम भुगतान से 15 प्रतिशत जारी किया, जिसका मूल रूप से स्थापना के बाद ही भुगतान किया जाना था। उपकरण की स्थापना मे देरी के कारण आई.पी.आर. द्वारा नियमों और शर्तों में छूट दी गई थी। इसके अलावा, आई.पी.आर. ने एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. की स्थापना हेतु भुगतान के लिए मील का पत्थर शामिल नहीं किया था। परिणामस्वरूप, आई.पी.आर. ने मशीन को स्थापित किए बिना, ठेकेदार को पूर्ण भुगतान जारी किया, जिससे एस. पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. की स्थापना के लिए ठेकेदार द्वारा गैर-प्रतिबद्धता का जोखिम पैदा हो गया। दोनों मशीनों के लिए ठेकेदार से आई.पी.आर. द्वारा प्राप्त की गई निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) सितंबर 2015 (एस.पी.डब्ल्यू.एम.-एम.डब्ल्यू.पी. के लिए) और दिसंबर 2014 (एस.पी.डब्ल्यू.एम.-ई.एल.एम. के लिए) में व्यपगत हो गई थी और जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया था।

मशीनों की गैर-स्थापना के नतीजतन ₹4.29 करोड की लागत से खरीदे गए उपकरणों की निष्क्रियता हुई। इसके अलावा, मशीनों के लंबे समय तक खराब भंडारण और कमजोर वित्तीय सुरक्षा उपायों ने भी भविष्य में उपकरणों की सफल स्थापना, कमीशन और संतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में अनिश्चितता पैदा की। इसके अलावा, कॉइल्स के निर्माण को अंजाम नहीं दिया जा सका, जैसा कि उन परियोजनाओं में परिकल्पना की गई थी जिनके लिए मशीनों की खरीद की गई थी। आई.पी.आर. ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) कि मशीनों की परिचालन दक्षता उनकी स्थापना के बाद ही पता चलेगी, लेकिन यह भी कहा कि स्थापना मामले में चल रही सतर्कता जांच के कारण लंबित (अक्टूबर 2020) थी। डी.ए.ई. ने बताया (नवंबर 2020) कि आई.पी.आर. को भविष्य मे पुनरावृत्ति से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया था।

चूंकि महत्वपूर्ण लागत पर मशीनों की खरीद के बाद सात साल से अधिक का समय बीत चुका है, इसलिए डी.ए.ई. को मशीनों की स्थापना में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि इनका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए इनकी खरीद की गई थी, ताकि इनकी हालत और न बिगड़े। इसके अलावा,

डी.ए.ई. को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि उपकरणों की खरीद शुरू करने से पहले साइटों की तैयारी के साथ खरीद मैनुअल के सभी प्रावधानों की जांच इसकी इकाइयों द्वारा बारीकी से की जाती है।

सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम

3.2 पट्टा किराए की कम-वसूली

मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार लाईसेंस शुल्क के गैर-संशोधन और सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम द्वारा समाप्त हुए पट्टा करारों के गैर-नवीनीकरण के परिणामस्वरूप, ₹3.75 करोड़ के पट्टा किराए की कम-वसूली हुई।

सामान्य सेवा संगठन, कलपाक्कम (जी.एस.ओ.), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की एक घटक ईकाई है, जो तमिलनाडु के कलपाक्कम और अनुपूरम में परमाणु ऊर्जा टाउनशिप में सामान्य सुविधाओं[6] का ध्यान रखती है। जी.एस.ओ. ने कलपाक्कम टाउनशिप में तीन संगठनों अर्थात् तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम, विल्लुपुरम (टी.एन.एस.टी.सी.)[7], भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) एवं केनरा बैंक को जमीन पट्टे पर दी और अलग-अलग समयावधि के लिए इन संगठनों के साथ पट्टा करार किए। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, सितंबर 2012 और मार्च 2020 के बीच, जी.एस.ओ. को तीन संगठनों से ₹20.83 लाख पट्टा किराया प्राप्त हुआ, जैसा कि **तालिका-1** में दर्शाया गया है।

[6] आवास, चिकत्सा, परिवहन, जल आपूर्ति, नागरिक, विद्युत, यांत्रिक, दूरसंचार और कंप्यूटर

[7] पूर्व में तनदई पेरियार परिवहन निगम के रूप में जाना जाता था।

तालिका 1: जी.एस.ओ. द्वारा भूमि का पट्टे पर देना

संगठन	पट्टे पर देने की अवधि	पट्टे पर देने की कालावधि (वर्षों में)	पट्टे पर दी गई भूमि (वर्ग फुट)	पट्टा किराए[8] के भुगतान की कालावधि	प्राप्त किया गया पट्टा किराया (₹)
टी.एन.एस.टी.सी.	13-9-1983 से 12-9-2012	29	88,994	1.10.2012 से 31.03.2020	5,59,800
एस.बी.आई.	25-7-1984 से 24-7-2013	29	73,355	1.08.2013 से 31.03.2020	4,79,680
केनरा बैंक	I-11-12-1983 से 10-12-2012 II-24-9-1986 से 23-9-2013 III-22-8-1990 से 21-8-2012	29 27 22	15,696	1.09.2012 से 31.03.2014	10,43,784
				कुल	**20,83,264**

पट्टा करारों की शर्तों के अनुसार, लाईसेंस शुल्क समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के तहत संशोधन के अधीन था। पंजीकरण विभाग, तमिलनाडु सरकार ने उस क्षेत्र की भूमि लागत को 01.08.2007 और 01.04.2012 से क्रमशः ₹60 प्रति वर्ग फुट और ₹300 प्रति वर्ग फुट से संशोधित किया जहां कलपाक्कम टाउनशिप स्थित है। राजस्व विभाग, तमिलनाडु सरकार की नीति[9] के अनुसार, प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क की दर गैर-व्यवसायिक और व्यवसायिक उद्देश्य हेतु भूमि की लागत का क्रमशः सात प्रतिशत और 14 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि पट्टा करार अगस्त 2012 से सितंबर 2013 के दौरान समाप्त हो चुके थे, जी.एस.ओ. ने नए पट्टा करार निष्पादित नहीं किए और इन संगठनों ने वैध करारों के बिना पट्टे की भूमि पर अपना संचालन जारी रखा। जी.एस.ओ. ने डी.ए.ई. को पट्टा करारों के नवीनीकरण हेतु जुलाई 2015 में अवगत कराया था, अर्थात् पुराने करार की समाप्ति के लगभग दो से तीन वर्षों के बाद। इसके बाद डी.ए.ई. और

[8] पूर्व अवधियों के लिए पट्टा किराए के भुगतान के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

[9] 2007-08 और 2012-13 के पोलिसी नोट

जी.एस.ओ. के बीच पांच वर्ष से अधिक समय तक मामला पत्र-व्यवहार में जारी रहा।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रचलित पट्टे की दरों के अनुसार केवल केनरा बैंक को पट्टे पर दी गई भूमि के लिए प्रभार को संशोधित (अप्रैल 2012) किया गया था। हालांकि, पट्टा करार को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण मार्च 2014 के बाद केनरा बैंक से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। अन्य दोनों संगठनों ने पुरानी दरों के आधार पर पट्टे का किराया देना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹3.75 करोड[10] तक के पट्टे किराए (मार्च 2020 तक) की कम-वसूली हुई।

इस प्रकार, पट्टा करारों के संदर्भ में तीन संगठनों को पट्टे पर दी गई भूमि के लाइसेंस शुल्क को संशोधित करने में जी.एस.ओ. और डी.ए.ई. की विफलता, और जी.एस.ओ. द्वारा आठ वर्षों से अधिक समय तक समाप्त पट्टा करारों के नवीनीकरण नही किए जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2020 तक ₹3.75 करोड के पट्टा किराए की कम-वसूली हुई जोकि नए करारों के निष्पादित होने तक और बढ़े।

पट्टा करारों के नवीनीकरण हेतु कार्रवाई करने में हुए सात वर्षों से अधिक विलंब से संकेत मिलता है कि जी.एस.ओ. द्वारा आंतरिक नियंत्रण में एक गंभीर चूक हुई है।

डी.ए.ई. ने बताया (अक्टूबर/दिसंबर 2020) कि जी.एस.ओ. ने तीनों संगठनों से चर्चा की है (सितंबर 2020) और मौजूदा 15 वर्षों की अवधि के लिए टी.एन.एस.टी.सी., को सात प्रतिशत की दर तथा एस.बी.आई. और केनरा बैंक को 14 प्रतिशत की दर पर राज्य सरकार के मौजूदा भूमि दिशानिर्देश मूल्यों पर पट्टों को पूर्वव्यापी रूप से नवीनीकृत किया जाएगा। डी.ए.ई. ने बताया (दिसंबर 2020) कि यह जनवरी 2021 तक पूरा किया जाना संभावित था।

[10] एस.बी.आई.: ₹2.01 करोड़ और केनरा बैंक: ₹39.55 लाख, ₹300 के 14 प्रतिशत की दर पर परिगणित अर्थात् ₹42 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष। टी.एन.एस.टी.सी.: ₹1.34 करोड़ ₹300 के सात प्रतिशत की दर पर परिगणित अर्थात् ₹21 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष, पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य सरकार निगम होने के नाते।

हकीकत यह है कि जी.एस.ओ. और डी.ए.ई. द्वारा निष्क्रियता के कारण पट्टा करारों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को धन की कम-वसूली हुई। जी.एस.ओ. को अपने पट्टा करारों के नवीनीकरण पर निगरानी रखने और समय पर पट्टों के किराए की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर

3.3 उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर ने अपने कर्मचारियों को उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के दौरान ₹2.80 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर (एन.आई.एस.ई.आर.) परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। एन.आई.एस.ई.आर. का प्राथमिक उद्देश्य भविष्य की ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के लिए विज्ञान में मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और पोषित करना है। एन.आई.एस.ई.आर. के उप-नियमों के संदर्भ में, इसके कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते डी.ए.ई. में उसके समतुल्य कर्मचारियों के समान स्वीकार्य होंगे, अर्थात भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के मौजूदा नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत होंगे।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने मकान किराए भत्ते[11] (एच.आर.ए.) के वितरण के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों को 'एक्स', 'वाई' तथा 'जेड' श्रेणियों में पुर्नवर्गीकृत[12] (जुलाई 2015) किया। उक्त ओ.एम. के अनुसार, कटक शहरी समूह (यू.ए.), भुवनेश्वर यू.ए. एवं राउरकेला यू.ए. को 'वाई' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। उड़ीसा के शेष शहरों/कस्बों को 'जेड' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। 'वाई' एवं 'जेड' श्रेणी के शहरों के लिए एच.आर.ए. क्रमशः 20 प्रतिशत

---

[11] केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एच.आर.ए. के भुगतान के लिए शहरों के वर्गीकरण से संबंधित मौजूदा आदेशों के दमन के अंतर्गत।

[12] ओ.एम.सं -2/5/2014-ई. II(बी) दि. 21/07/2015 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते के भुगतान के उद्देश्य से जनगणना 2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनर्विकास/उन्नयन।

एवं 10 प्रतिशत की दर पर देय था; जिसे जुलाई 2017[13] से क्रमशः 16 प्रतिशत एवं आठ प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया था।

एन.आई.एस.ई.आर. ने प्रारंभिक तौर पर अपना कार्य (सितंबर 2007) भुवनेश्वर[14] में शुरू किया तथा खुरदा जिले के जटनी शहर में स्थित अपने स्थायी परिसर में (जुलाई 2015) स्थानांतरित हो गया, जो कि भुवनेश्वर शहर से 25 कि.मी. दूर स्थित है।

लेखापरीक्षण के दौरान पाया गया कि जटनी शहर/कस्बा 'जेड' श्रेणी के अंतर्गत आता है, लेकिन एन.आई.एस.ई.आर. के कर्मचारियों को एच.आर.ए. का भुगतान 'वाई' श्रेणी के शहरों की दर पर किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा यह मामला उड़ीसा के कार्यालय निदेशक जनगणना संचालन, गृह मंत्रालय, जी.ओ.आई., के संज्ञान में लाया गया, जिसने स्पष्ट किया (अगस्त 2020) कि एन.आई.एस.ई.आर. भुवनेश्वर यू.ए. के अंतर्गत नहीं आती है। इस प्रकार, एन.आई.एस.ई.आर. द्वारा उच्च दरों पर एच.आर.ए. का भुगतान अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप इसके कर्मचारियों को जुलाई 2015 से फरवरी 2020 के दौरान ₹2.80 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया।

एन.आई.एस.ई.आर. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संस्थान भुवनेश्वर में स्थित था और इसलिए एच.आर.ए. का भुगतान भुवनेश्वर की दरों पर किया गया।

जनगणना प्राधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के चलते उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अतः, एन.आई.एस.ई.आर. को एच.आर.ए. की लागू दरों को स्वीकारने तथा अपने कर्मचारियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की आवश्यकता है।

यह मामला डी.ए.ई. के संज्ञान में अक्टूबर 2020 में लाया गया था; जिसका जवाब दिसंबर 2020 तक अपेक्षित था।

---

[13] सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप।

[14] डी.ए.ई. की एक और स्वायत्त संस्था, भौतिकी संस्थान के कैंपस पर।